

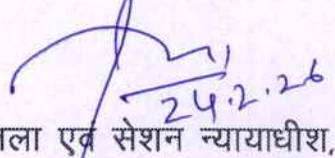
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/ 886

दिनांक:- 24 फरवरी, 2026

- : आदेश : -

जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी श्री तारा चन्द श्रीमाल तामील कुनिन्दा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम (हाल कार्यरत न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, जयपुर महानगर-प्रथम) के दिनांक 28.02.2026 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर राज्य-सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री तारा चन्द श्रीमाल का पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने मूल पदस्थापन न्यायालय में उपस्थिति देवें।


24.2.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/ 886

दिनांक:- 24 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा/तामील शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-1
- 03 वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 04 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 05 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 06 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली


(प्रशासनिक अधिकारी)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर-प्रथम